खेल, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता

सामाजिक पहल के लिए
बाल केन्द्रित नज़रिया

शीर्षक	**खेल, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता** (सामाजिक पहल के लिए बाल केन्द्रित नज़रिया)
लेखन/संकलन	**सचिन कुमार जैन, सौमित्र रॉय**
सहयोग	**राकेश मालवीय, राकेश दीवान, कमलेश नामदेव, गुंजन मेंहदीरत्ता, सोनू मालवीय, अरविन्द मिश्रा, आरती पाराशर, संतोष वैष्णव, मनोज गुप्ता।**
प्रकाशक	**विकास संवाद**
पता	ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश vikassamvad@gmail.com www.mediaforrights.org / www.vssmp.org (0755-4252789)
वर्ष	**2016**
डिजाइन	**अमित सक्सेना**
मुद्रण	**बी.के. ट्रेडर्स** जी-140, श्वेता कॉम्प्लेक्स, ई-8, शाहपुरा, भोपाल
संदर्भ	खेल पर संदर्भ सामग्री के लिये हम डॉ. एम.आई. कुरैशी का आभार व्यक्त करते हैं।
मुद्रण सहयोग	**टीडीएच (भारत) और बीएमज़ेड (जर्मनी)**

• अपनी बात

1 खेल का अधिकार पृष्ठ क्रमांक - 1

2 जलवायु परिवर्तन : क्या, क्यों और कैसे पृष्ठ क्रमांक - 12

3 जैव विविधता पृष्ठ क्रमांक - 26

अपनी बात

खेल के बिना बचपन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि खेल खेलने की कोई उम्र निश्चित नहीं है। जीवन के आखिर तक हम खेलने को उत्सुक रहते हैं, क्योंकि खेल से हमें नई ऊर्जा मिलती है। मन प्रसन्न रहता है और तनाव, हताशा, अवसाद जैसे मनोविकारों से निजात मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को खोलने में सबसे अहम् भूमिका निभाते हैं। हर खेल एक अलग तरह की गतिविधि होता है और हर गतिविधि का जुड़ाव हमारे शरीर के अंगों से है। घर पर बैठकर कैरमबोर्ड या लूडो का खेल भी दिमाग को प्रभावित करता है, सोचने, जीत की रणनीति बनाने और एकजुटता के साथ टीम भावना अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी खेल किसी न किसी रूप में शारीरिक-मानसिक-भावनात्मतक विकास से जुड़ा है।

तो सवाल यह है कि क्या खेल जैसी सर्वसुलभ शारीरिक और मानसिक गतिविधि को परे रखकर एक स्वस्थ बचपन सुनिश्चित कर सकते हैं? खेल खेलने के लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए और इस ऊर्जा के लिए पोषण की जरूरत होती है। पोषण मतलब संतुलित आहार। अगर चलना सीखने के बाद बच्चा खेले नहीं तो क्या शरीर को वांछित मात्रा में पोषण की जरूरत होगी? हमारे समाज में पीढ़ियों से खेल की परंपरा को सामाजिक व्यवहार का इसलिए हिस्सा बनाए रखा, क्योंकि यह हर आयु वर्ग के सर्वांगीण विकास में मददगार है। खो-खो, कबड्डी, छुप्पन-छुपाई और गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक ग्रामीण खेल भी एकजुटता, लक्ष्य हासिल करने और उसके लिए रणनीति बनाने की

मानसिक-शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। इन्हें खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे आधुनिक खेलों की तरह महंगे संसाधनों और खेल मैदानों की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके, आधुनिक खेलों की दौड़ में हम धीरे-धीरे देशी परंपरागत खेलों को भूलते जा रहे हैं। यही हाल हमारे पर्यावरण का भी है। वन, पानी और जैव विविधता के पूरे ताने-बाने को, जिसने इंसान की उत्पत्ति से लेकर अब तक हमें खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही जड़ी-बूटियों के रूप में जीवन का वरदान भी दिया, उसे जाने-अनजाने नष्ट करते जा रहे हैं।

जरा सोचें कि आज वे तितलियां, मधुमक्खियां और केंचुए हमें ज्यादा नजर क्यों नहीं आते? कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग इनका जीवन ले रहा है। यह भी सोचें कि अगर मधुमक्खियां न हों तो परागण कैसे होगा? यह पृथ्वी कैसे बची रहेगी? खेतों से निकलकर खतरनाक रसायन जब गांव के तालाब और नदियों में जाएगा तो क्या मछलियां जिंदा रह पाएंगी? मछलियों का पानी की सफाई से क्या संबंध है? सृष्टि को कायम रखने में सभी जीवों की एक अलग भूमिका है। वह क्या है? हम, खासतौर पर बच्चे और युवा, गांव और आसपास के पर्यावरण को बचाने में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं?

इस पुस्तिका को तैयार करने का मकसद यही है कि हम किस तरह बच्चों और युवाओं को खेल और साफ-सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार से वाकिफ करा सकते हैं। खासतौर पर व्यापक समाज के सामने वर्तमान में उपस्थित उस संकट से परिचित कराना, जो जैव विविधता और आहार श्रृंखला पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुस्तिका में कुछ रणनीतियों, योजनाओं, कार्रवाइयों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें तत्काल किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। हमें विश्वास है कि विकास संवाद की बाकी पुस्तिकाओं की तरह ही इस पुस्तिका के बारे में भी आपकी राय हमें कुछ नया, बेहतर और उपयोगी सृजन के लिए प्रोस्ताहित करेगी।

खेल, जलवायु और जैव विविधता

1

खेल का अधिकार क्यों ?

बचपन विकास की उम्र होती है। इस उम्र में शरीर दिमाग और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए अक्सर बात की है पर क्या उनके खेल के अधिकार के लिए बात नहीं की जाना चाहिए। क्या खेल मानसिक और शारीरिक विकास की सबसे बुनियादी जरूरत नहीं हैं, क्या खेलों से भी बच्चों का समाजीकरण नहीं होता है। वास्तव में खेलों से बच्चों के विकास और जाति-लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने की गुंजाइश बनती है।

बच्चों के खेल का अधिकार एक उपेक्षित विषय है। जब तक यह उपेक्षित है, तब तक बच्चों के विकास के अधिकार का हनन होना जारी रहेगा। जब हमने समाज में पारंपरिक खेलों- जैसे खो-खो, कबड्डी, रस्सी कूदना,

खेल का अधिकार और बाल विकास का मतलब क्या ?

खेल सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है। खेल में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर शिक्षा को न्यायसंगत और गुणवत्तामूलक बनाना है तो खेल को इसका अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। बच्चे खेलेंगे तो ही उनका शरीरिक विकास होगा और वे शिक्षा को ग्रहण करने में मानसिक रूप से सक्षम होंगे।

पेड़ पर चढ़ना, लकड़ी के डंडे के सहारे (गेरी) पर चलना, कुश्ती दौड़, चौसर, अष्टा-चंगा, पीठ-कुटाई, छुप्पन-छुपाई आदि की उपेक्षा की तो हम इन्हें भूल गए और हमारे सामने कुछ ही खेलों का अधिकार कायम हो गया, जैसे क्रिकेट। हमें सोचना चाहिए कि अपने समुदाय की विशेषताओं को पहचानें और देखें कि हमारे यहाँ बच्चों-युवाओं के कौन से खेल उल्लेखनीय हैं और उन्हें बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाएँ।

बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनके शरीर के अंगों को सही विकास चुनौतियों से निपटने और आपसी सामंजस्य का कौशल विकसित करने के लिए खेल अनिवार्य हैं।

इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य पुस्तिका का मकसद है कि हम अपने गांव/परिवेश और समुदाय में बच्चों के खेल के अधिकार पर बात करें और सुनिश्चित करें कि खेलों के लिए बुनियादी और सुरक्षित ढांचा गांव में उपलब्ध हो। जहाँ खेल के मैदान नहीं हैं, वहां खेल के मैदान बनें, जहाँ रखरखाव या सुधार की जरूरत हैं, वहां सुधार हो और खेल का अधिकार बच्चों के जीवन का बुनियादी अंग बने।

सन्दर्भ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित 'बाल अधिकार समझौतों' को स्वीकार किया है और उन्हें लागू करने का वादा किया है। इस समझौते के अनुच्छेद 31 के मुताबिक बच्चों को आराम करने, खेलने, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वे वृहद सांस्कृतिक, कलात्मक और रचनात्मक कामों में शामिल हो सकें। अब शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार क़ानून-2009 बना है। यह कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।

यह क़ानून कहता है कि -

1. हर स्कूल के तहत एक खेल का मैदान होगा।
2. हर कक्षा की जरूरत के मुताबिक खेलों की सामग्री खिलौने-खेल और खेल के उपकरण उपलब्ध करवाए जायेंगे।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधान

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2012 को और मध्यप्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 सितम्बर 2013 को निर्देश जारी करके स्पष्ट किया है कि 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19 में वर्णित अनुसूची के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए

स्कूल संचालन के मान एवं मानक तय किये गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रत्येक स्कूल से जुड़े एक खेल के मैदान की व्यवस्था होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र में इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान उपलब्ध हो। यह स्कूल से लगा हुआ खेल मैदान/नगरीय क्षेत्र में पार्क आदि हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि स्कूल परिसर में ही खेल मैदान हो।'

कानून में लागू की गईं व्यवस्थाएं

स्कूलों में खेल के मैदान और खेल सामग्री – 'शिक्षा का अधिकार क़ानून शाला प्रबंधन समिति शाला विकास योजना'

इसका मतलब यह है कि सभी स्कूलों में खेल के मैदान का नीतिगत और कानूनी प्रावधान उपलब्ध है। अब यह साफ़ करना है कि जहाँ मैदान नहीं हैं, वहां मैदान कैसे बन सकते हैं? जहाँ तक स्कूलों में खेल के मैदान होने का प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत हर स्कूल में 'शाला प्रबंधन समिति' का गठन किया जाना है। स्कूलों और शिक्षा के विकास के लिए इन समितियों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियां दी हैं। इनमें से एक है– शिक्षा का अधिकार क़ानून द्वारा स्कूलों के लिए तय किये गए मान और मानकों को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना।

शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि वह तीन साल के लिए शाला विकास की योजना बनाएं। शाला विकास योजना को लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समुदाय से कौन सा सहयोग/संसाधन मिल सकते हैं? इस योजना में खेल के मैदान का विकास और खेल के सामान की उपलब्धता के लिए प्रावधान किये जा सकते हैं। हमें यह देखना है कि बच्चों के हित में इन कानूनी प्रावधानों का उपयोग जरूर हो।

मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना

स्कूली व्यवस्था से अलग यह भी प्रावधान है कि गांव/बस्ती में बच्चों के लिए खेल का मैदान हो। मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत एक उपयोजना बनायी गयी है। इस उपयोजना का नाम है–मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून/योजना का मकसद है सभी ग्रामीण परिवारों को रोज़गार का हक उपलब्ध करवाना। इस सोच को लागू करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र चुने गए हैं, जिनसे उपयोगी और स्थायी जरूरी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इन में बच्चों के लिए खेल के मैदान को भी शामिल किया गया है। हमारे समाज के लिए जितना खेती, पर्यावरण और पानी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व खेल के मैदान का भी है।

मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का मकसद लोगों को रोज़गार का अधिकार दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इससे खेल के मैदान विकसित किये जाने हैं। सोच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में खेलों के प्रति उत्साह बना रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

महत्वपूर्ण बातें

जब हम खेल के मैदान और खेल के अधिकार की बात करने हैं, तब हमें ध्यान रखना होगा कि

1. लड़कियों को खेलों में समान स्थान मिले, उनकी अभिरुचियों को महत्व मिले।
2. जो बच्चे या युवा किसी किस्म की विकलांगता से प्रभावित हैं, उनके लिए भी खेलों की व्यवस्था हो। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विकलांगता से प्रभावित लोगों के लिए कोई नए खेल लाये जाएँ, बल्कि जरूरी यह है कि ढांचागत व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हों और उन्हें भी बराबरी से भागीदार बनाया जाये।

खेलना क्यों जरूरी है ?

खेलकूद के कई फायदे हैं। खेलना एक सहज मानवीय प्रक्रिया है। आप अपने आसपास देखें तो पशु-पक्षी भी आपस में खेलते हैं। खेलकूद के रूप में शारीरिक गतिविधि हमारे मन को खुश रखती है और शरीर को चुस्त-तंदुरुस्त रखती है। खेल हमारे शरीर की बढ़त और विकास के लिए जरूरी हैं। अगर कोई बच्चा, युवा या किशोरी खेलकूद में हिस्सा न ले तो उसका दिमागी और सामाजिक विकास पूरा नहीं हो पाता। खेल हमारे दिमाग की तार्किक क्षमता, व्याख्यात्मक शक्ति, पूर्वानुमान, क्रिया और प्रतिक्रिया के साथ ही आपसी सहयोग, समर्पण, एक-दूसरे का भरोसा, श्रम का बंटवारा और नेतृत्व कौशल जैसे सामाजिक गुणों को भी बढ़ावा देता है।

खेलकूद का मतलब क्या है ?

शिक्षा के आधुनिक सिद्धांतों में खेल के अर्थ व्यापक और दूरगामी हो गए हैं। अब खेल केवल एक शारीरिक गतिविधि मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के गुणों को भी निर्धारित करती है। खेल किसी जाति, रंग, राष्ट्रीयता को नहीं मानता। इस तरह खेलकूद बिना किसी उद्देश्य के केवल मनोरंजन के लिए की जाने वाली शारीरिक गतिविधि है। चोर-पुलिस, पिट्टुल, कंचे या लट्टू जैसे खेल किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं खेले जाते, बल्कि इन्हें खेलने के पीछे खिलाड़ियों की खुशी और मनोरंजन एक बड़ा मकसद होता है।

खेलें नहीं तो क्या होगा?

अगर कोई बच्चा अपने शारीरिक विकास के प्रारंभिक क्रम में खेलकूद वाली गतिविधियों से दूर रहता है तो आगे चलकर उसके विकास और बढ़त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार खेलकूद हर बच्चे के लिए इतना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने भी इसे सभी बच्चों का अधिकार माना है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि '**खेलकूद हर बच्चे, हर युवा, हर किशोरी का अधिकार है और कोई समुदाय इसे छीन नहीं सकता**'।

खेलकूद के बारे में अलग-अलग सिद्धांत क्या कहते हैं ?

1. **खेल आपकी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करता है** – शारीरिक विकास के प्रारंभिक दौर में बहुत सारी ऊर्जा होती है। भोजन में शामिल पोषक तत्वों से आने वाली यह ऊर्जा स्कूल या घर पर एक स्थान

पर बैठकर पढ़ाई करते हुए, टेलीविजन देखते हुए या मोबाइल फोन पर गेम खेलने से या दोस्तों के साथ गपशप से खर्च नहीं हो पाती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को खपाने का सही तरीका खेलकूद ही है। अगर खेलकूद नहीं करेंगे तो स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते, टीवी देखते या मोबाइल फोन पर गेम खेलने से इतनी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता। अगर भोजन के जरिए शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का ठीक से उपयोग नही होगा तो नतीजा हड्डियों के कमजोर होने, अंगों के ठीक से विकसित न होने या उनके मजबूत न होने के रूप में सामने आ सकती है। यहां ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का स्तर बचपन से लेकर युवावस्था तक बढ़ता ही रहता है।

खेलकूद बच्चे को उस जीवन कौशल से संपन्न करते हैं, जो किसी भी सामाजिक स्तर की सहभागिता के लिए जरूरी हैं। ये बच्चे के भीतर की हिचकिचाहट को दूर कर सामाजिक प्रतिस्पर्धा में आगे आने की प्रेरणा देते हैं। खेलकूद बच्चे को हालात से जूझना भी सिखाता है। यह बच्चे को रचनात्मचक बनाता है, जिससे उसका दिमागी और भावनात्मक विकास और मजबूत होता है। साथ ही इसका प्रभाव बच्चे की पढ़ाई पर भी पड़ता है और वह शिक्षा के मामले में भी अपने साथियों से आगे निकलता है।

2. **परिपक्व बनाता है** – खेलकूद से आपका व्यक्तित्व परिपक्व बनता है। आपकी समझ–कौशल का विकास होता है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आप में सहयोग, आपसी सामंजस्य और मिल–जुलकर सहभागितापूर्ण प्रयास करने की भावना पनपती है।

3. **यह आपको नई ऊर्जा से भर देता है** – खेलकूद में खूब मजा आता है। आप आनंद का अनुभव करते हैं। दोनों ही चीजें आप में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। खेलकूद से शरीर में जमा होने वाली यह नई ऊर्जा आपको शिक्षा और दूसरी रचनात्मतक गतिविधियों में भी सक्रिय बनाए रखती है।

4. **निराशा को दूर करता है** – खेल आपके मनोवेगों की दिशा बदल देता है। खेलकूद में शामिल होकर बच्चे अपनी निराशा, तनाव, वैमनस्य, हताशा आदि को दूर कर सकते हैं। इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है।

5. **खेल मतलब नए अनुभव और नई सीख** – हर खेल में हार–जीत होती है। दोनों ही परिस्थितियों में बच्चे अपना आत्ममूल्यांकन करते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकत को आंकते हैं। जीतने वाला भी अपनी क्षमताओं को महसूस करता है, साथ ही उन कमजोरियों का भी अनुभव करता है जो उसे दूर करनी है। इसी तरह हारने वाले को अपने प्रतिद्वंद्वी से स्वयं की तुलना करनी होती है। इस तरह खेल हमें सकारात्मकता के साथ ही अपने कौशल और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है।

जैविक रूप से

- सामाजिक रूप से
- दिमागी और भावनात्मक रूप से

शिक्षा की दृष्टि से

- भौतिक और शारीरिक संचालन क्षमता का विकास

- सामाजिक जीवन कौशल
- आत्मविश्वास बढ़ाता है
- भाषा और साक्षरता का विकास
- शारीरिक संचालन को मजबूत करता है
- नए दोस्त बनाता है
- बच्चों को स्वाभिमानी बनाता है
- खेल से बच्चे को कॅरियर का मजबूत आधार मिलता है
- शरीर में ताकत और लोच पैदा होती है
- लोग बच्चे को पसंद करने लगते हैं
- बच्चे की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है
- बच्चे को पढ़ाई में आगे रखता है

स्वास्थ्य की दृष्टि से

- बच्चे का शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है
- दूसरों के प्रति सहानुभूति, सद्भावना को बढ़ाता है
- हताशा, तनाव को दूर करता है

सामाजिक रूप से

- समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ाता है
- दूसरों के साथ समन्वय को मजबूत करना सिखाता है
- मतभेदों को सुलझाने, नेतृत्व गुणों का विकास करता है
- बच्चों की मन:स्थिति को सकारात्मक बनाता है
- बच्चे के संवाद कौशल को बेहतर बनाता है
- बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है
- नए प्रयोग करना और जोखिम लेना सिखाता है

खेल का अधिकार : भारत और दुनिया के क़ानून

अधिकार का मतलब असल में उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जो बच्चे की और समाज की बेहतरी की दिशा में हों। नियम-कानूनों और आचरण की दृष्टि से देखें तो अधिकार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में बाल अधिकारों पर समझौते की घोषणा की थी। इसके अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि

1. हर बच्चे को आराम और मनोरंजन, उसके उम्र के अनुसार खेलकूद की गतिविधियों, सांस्कृतिक आयोजनों

और कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

2. **संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर दस्तखत करने वाला देश** – भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने दुनिया के सामने वादा किया है कि वह हर बच्चे के खेल के अधिकार का सम्मान करेगा, उसे बढ़ावा देगा और खेलकूद व मनोरंजन की हर गतिविधि के लिए समुचित और समानतामूलक अवसर उपलब्ध कराएगा।

भारत के संविधान में बुनियादी अधिकार

- समानता का अधिकार
- आजादी का अधिकार
- किसी भी तरह के शोषण से मुक्त जीवन का अधिकार
- अपनी पसंद के किसी भी धर्म का अपनाने का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
- कानूनी सलाह-सुविधा का अधिकार

अगर हम उपरोक्त 6 मौलिक, बुनियादी अधिकारों को देखें तो दूसरे नंबर के बिंदु में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को समरसता के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास की आजादी मिली हुई है। फिर जैसा कि बच्चे ने ऊपर पढ़ा कि खेलकूद की गतिविधियां व्यक्तित्व के विकास में किस कदर उपयोगी हैं, इसलिए खेलकूद का अधिकार भारत के संविधान में इसी मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है।

बच्चों के खेल के अधिकार का हनन

भारत के कानून में मौलिक अधिकार के रूप में खेल के अधिकार को भी शामिल करने के बावजूद बच्चों, खासकर लड़कियों को खेलने के मौके नहीं मिल पाते। इसके कई कारण हैं।

1. **गरीबी और बाल मजदूरी** – मध्यप्रदेश में ग्रामीण और शहरी आबादी दोनों को मिलाकर 31.65 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अगर केवल ग्रामीण आबादी को देखें तो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत 35.74 है। बेहद गरीबी और परिवार में कमाने वाले सदस्य कम होने से बच्चों को भी काम में झोंक दिया जाता है। ज्यादातर परिवारों में कम उम्र की लड़कियों को अपने से छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता है, क्योंकि मां-बाप काम पर चले जाते हैं। इससे उनकी स्कूली पढ़ाई छूट जाती है और घरेलू काम में व्यस्त होने के चलते उन्हें खेलकूद का समय नहीं मिल पाता।

2. **बदलती जीवन शैली और संस्कृति** – बच्चों के खेलकूद के अधिकार में एक बड़ी बाधा परिवारों का काम की तलाश में होने वाला पलायन है। पलायन करने वाले परिवार 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। निर्माण स्थल पर एक छोटी की झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ ये बच्चे या तो अपने भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या फिर परिवार के काम में हाथ बटाते हैं। उन्हें खेलने के लिए न तो जगह मिल पाती है और न ही पर्याप्त समय।

3. **स्कूली शिक्षा में शारीरिक शिक्षण पर जोर कम** – मध्य प्रदेश में स्कूलों में शारीरिक शिक्षण पर खास जोर नहीं दिया जाता। यहां तक कि अभिभावक भी बच्चों के खेलकूद से ज्यादा महत्व उन विषयों को देते हैं, जो बच्चों के कॅरियर और आजीविका को सुनिश्चित कर सकें। लड़कियों के लिए घरेलू कामकाज और परिवार के वयस्क सदस्यों की मदद को जीवन कौशल के लिए जरूरी माना जाता है।

4. **खेल मैदान ही नहीं हैं** – मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। गांवों में स्कूल परिसर में खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती और न ही गांव के भीतर इतनी जगह होती है कि बच्चे उसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन जैसे श्रमसाध्य खेलों में भाग ले सकें। यही हाल शहरों का भी है, जहां तंग बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए खेलने की जगह ही नहीं होती। बड़े पार्क, मैदानों के लिए आधुनिक निर्माणकर्ता कोई जगह नहीं छोड़ते।

5. **खेलकूद से रोकने की मानसिकता** – स्कूलों में 6–8 घंटे की पढ़ाई के बाद इतना होम वर्क यानी गृह कार्य दे दिया जाता है कि बच्चे घर आकर दोबारा होमवर्क में जुट जाते हैं। वे बाकी समय दोस्तों के साथ गपशप या मोबाइल, टीवी, कम्प्यूटर पर गेम खेलने में बिता देते हैं। इससे उनमें पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती।

6. **सुरक्षा की चिंता** – अगर खेल का मैदान गांव से कुछ दूर हो तो बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं मिलती। मां–बाप को उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है। ऐसे में लड़कियां खासतौर पर खेलकूद से वंचित रह जाती हैं।

7. **महंगे खेल के सामान** – ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के स्तर पर खेल के सामान मंगवाने का कोई बजट ही नहीं है और न ही खेल के लिए आधारभूत ढांचा, यानी बड़े मैदान व सुविधाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं। गांव के गरीब परिवार खेल के महंगे साजो–सामान खरीद नहीं पाते। देशी खेलों, जैसे कबड्डी, खो–खो, तैराकी आदि को कम महत्व मिलता है, जबकि ये खेल भी शारीरिक गतिविधि के लिहाज से जरूरी हैं।

तो क्या करना होगा

अभिभावकों को समझाएं –

1. बच्चों, युवाओं, किशोरियों के खेलकूद के अधिकार के बारे में अभिभावकों, गांव के वयस्कों को शिक्षित करना होगा। उन्हें बताना होगा कि खेलकूद किस तरह से शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास में मददगार होता है। खेलकूद न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि तनाव, निराशा और अवसाद को मिटाकर सकारात्मकक ऊर्जा प्रदान करता है, जो आगे बढ़ने में सहायक है।

2. अभिभावक अपने वे बच्चों को घर के बाहर आसपास खेलने के लिए कम से कम एक घंटे का समय जरूर दें। खासकर लड़कियों के लिए यह बहुत जरूरी है।

3. अपने गांव के पंचायत से खेल के मैदान की मांग करें, ताकि बच्चे अपने परिवेश में ही सुरक्षित तरीके से खेल सकें।

स्कूल प्रबंधन समिति से बात करें –

1. स्कूल में खेल और शारीरिक शिक्षण गतिविधियां शुरू करने के लिए स्कूल प्रबंध समिति के पास सारे अधिकार हैं।
2. उन्हें बच्चों के खेल के अधिकार के बारे में बताएं। स्कूल प्रबंध समिति, शाला की विकास योजना में खेल के मैदान की मांग कर सकती है। इसके लिए योजनागत बजट बनाने का काम भी हो सकता है।
3. स्कूल प्रबंध समिति खुद आगे आकर शाला स्तर पर बच्चों के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एक योग्य प्रशिक्षक की मांग कर सकती है।
4. शाला प्रबंध समिति स्कूल में खेल की एक घंटे की कक्षा, खेल के सामान, बच्चों के लिए जूते, लाइब्रेरी आदि बनाने की मांग कर सकती है।

समुदाय और सामुदायिक संस्थानों की मदद लें –

1. समुदाय खुद अपने गांव की खाली जमीन पर खेल का मैदान तैयार कर सकता है। इसके लिए सार्वजनिक सहयोग की जरूरत होगी। अगर यह श्रम साध्य या कुछ खर्चीला मामला हो तो मनरेगा के तहत बनी उपयोजना में **(कृपया ऊपर देखें)** लोगों को इसके लिए मजदूरी देने और ग्राम विकास योजना में खेल के मैदान की योजना को शामिल किया जाए।
2. अगर गांव में कोई प्रादेशिक या जिला स्तरीय खिलाड़ी हो तो बच्चों को खेल के प्रशिक्षण के लिए उसकी भी मदद ली जाए।
3. ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति, मनरेगा समिति, ग्राम विकास समिति जैसी सामुदायिक संस्थाओं को बच्चों के खेल के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इस दिशा में कदम उठाने को प्रेरित करें।

1.1 मध्यप्रदेश सरकार की खेल नीति

नीति निर्धारक बिंदु –

1. अधोसंरचना का विकास करना
2. खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना
3. राज्य स्तरीय खेल संघों और संस्थाओं से समन्वयक स्थापित करना
4. चिन्हित खेलों को बढ़ावा देना
5. शिक्षा और खेलों के बीच सामंजस्य स्थापित करना
6. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देना
7. प्रशिक्षक, निर्णायक, रेफरी और अन्य तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण और विकास

8. खेलों को बढ़ावा देने के लिए संसाधन जुटाना

9. तैराकी और साहसिक खेलों का विकास करना

अधोसंरचना का विकास –

- हर गांव में खो-खो, कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल के साथ पारंपरिक देशी खेलों के लिए एक खेल मैदान तैयार करना।

- उन गांवों में, जहां की जनसंख्या 5000 से अधिक है, खेल के मैदान तैयार कर वहां खेल प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में तीन खेल मैदान तैयार करने के लिए प्रति मैदान 30 हजार रुपए और उन मैदानों पर खेल निदेशकों को 600 रुपए के मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था।

- उन गांवों में, जहां की आबादी 5000 से अधिक है, वहां के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग व्यायाम शिक्षक और संविदा शिक्षक की भर्ती करेगा।

- जिन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक नहीं हैं, वहां मानदेय पर व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति शिक्षक-पालक संघ, शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से की जाएगी।

खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण –

1. स्कूलों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने और उन्हें खेलों का प्रशिक्षण देने का काम स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग का भी होगा। यानी स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से योग्य शिक्षकों को खेलों का प्रशिक्षण देकर संबंधित विभाग उन्हें हर माह 100 रुपए का अतिरिक्त मानदेय भी देंगे।

2. उदीयमान खिलाड़ियों की पहचान के लिए राज्य स्तर पर प्रतिभा खोज किया जाएगा। इन्हें कम उम्र में ही चिहिन्हत कर उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा।

चिन्हित खेलों को बढ़ावा –

1. आदिवासी क्षेत्रों में कबड्डी, रससाकशी, तेज दौड़, ऊंची कूद, वॉलीबॉल और धनुर्विद्या जैसे स्थानीय खेलों में अंतरग्राम पंचायत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इसके लिए खेल और युवक कल्याण विभाग के पास आदिवासी उपयोजना का बजट उपलब्ध होगा।

2. आदिवासी इलाकों में जहां नदी, झील जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, वहां संसाधनों का विकास तैराकी, कयाकिंग-केनोइंग जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन : क्या, क्यों और कैसे 2

जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने की तत्काल कार्यवाही कैसे हो

जलवायु परिवर्तन क्या है ?

आप इसे यूं देखें कि गांव/इलाके में पिछले कुछ सालों में बार-बार सूखा पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि बार-बार बाढ़ आ रही हो। यह भी देखने में आया है कि अब गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि इतनी पहले कभी नहीं पड़ी। किन्हीं क्षेत्रों में अब ठण्ड पहले से ज्यादा पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि मावठा गिरना कितना जरूरी है, पर कभी मावठा गिरता है, कभी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है और

पिछले कुछ दशकों से हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन पर्त, कार्बन ट्रेडिंग आदि शब्दों को सुन रहे हैं। इन शब्दों के मतलब क्या हैं? क्या हमने इनके बारे में जानने की कौशिश की है? क्या हमने कभी इन शब्दों के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात की है? हमारे लिए इनका मतलब जानना क्यों जरूरी है? जलवायु परिवर्तन से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं आदि कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, जब हम टी.वी., रेडियो या अखबार में इनके बारे में देखते-सुनते या पढ़ते हैं। दुनिया में प्रदूषण को कम करने हेतु चेताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या यूं कहें कि इन शब्दों के माध्यम से वैज्ञानिक हमें नाप कर बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रदूषण हो चुका है और अब वह खतरे के निशान से इतना ऊपर पहुंच चुका है कि इसके कारण वातावरण में तपन और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर मौसम पर हुआ, मौसम का असर पेड़-पौधों और जंतुओं पर पड़ रहा है। कई पेड़-पौधे जीव-जंतु, कीट पतंगे, पक्षी जो पहले कभी हमारे खेतों और घरों के आसपास दिखाई देते थे, अब हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहां गए ये सब, क्यों गायब हो गए? क्या कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है?

बारिश के मौसम में कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है कि उससे बहुत नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर ठण्ड के मौसम में ही आम के बौर आ रहे हैं। क्या यह सब सामान्य मौसम के लक्षण हैं?

जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है ?

मानव सभ्यता के 10000 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं बढ़ी, जितनी कि 20वीं सदी के आखिरी दशक में और 21वीं सदी के पहले दशक में हुई है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक लगातार इस ओर ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग लालच और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में पिछले 150 सालों से मनुष्य ने जो हठधर्मिता अपनाई है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव

एक अध्ययन के अनुसार अगले 30 साल में ठंड के दिनों का तापमान 2–3 डिग्री और गर्मी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इससे मानसून की बारिश कम हो सकती है और ठंड में होने वाली वर्षा (मावठे की बरसात) में भी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षा के समय में बदलाव की आशंका भी जताई जा रही है। इसका सीधा असर फसल चक्र पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कौन-कौन से असर हमें हमारे आसपास, गांव, खेत, जंगल, नगर आदि पर दिखाई देते हैं और इससे कौन-कौन सी चीजों पर असर हुआ है, जैसे बिंदुओं पर समुदाय के साथ बातचीत करके समझें और प्रमुख बिंदुओं को नोट करें। उदाहरण के लिए कुछ परिस्थितियों और परिवर्तनों को यहां दिया जा रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर अपने क्षेत्र में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समुदाय के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें। और समुदाय के साथ मिलकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

खेती पर संकट

मौसम और मानसून का चक्र बिगड़ने का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ा है। परंपरागत रूप से उत्पादन होती आ रही बड़ी संख्या में फसलों का नामोनिशान मिट गया है। इनमें कोदों-कुटकी, सावां, मक्का, ज्वार, बाजरा, पिसी (स्थानीय देशी गेहूं) सरीखी कम पानी और रासायनिक खादों के बिना पैदा होने वाली कई फसलें खत्म हो गई हैं। कई फसलों के तो अब बीज भी नहीं बचे हैं। इनकी जगह अब नई उन्नत फसलें उगाई जाने लगीं हैं। इन फसलों के लिए उन्नत बीज बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इससे खेती का खर्च

बढ़ा है और खेती के तरीकों में बदलाव आया है। खेती अब बैल और जानवरों के बजाय मशीनों से की जाने लगी है। इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। इसका सीधा असर किसानों के जीवन स्तर और रहन-सहन पर पड़ा है। खेती में उपज तो बढ़ी, लेकिन लागत कई गुना अधिक हो जाने से यह अब घाटे का व्यवसाय बन गई है और किसान खेती छोड़कर अन्य धंधों या मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं।

पानी की उपलब्धता और उपभोग

हमारी पृथ्वी पर कुल 70 प्रतिशत पानी है। यह पानी विभिन्न स्वरूपों, जैसे समुद्र, नदी, तालाब, झरनों, बादलों, भूगर्भ जल और ऊंची पर्वतमालाओं पर जमी हुई बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसमें से अधिकांश पानी समुद्र के खारे पानी के रूप में है। बाकी हिस्सा, यानी मात्र 2-5 प्रतिशत जल जो नदी, तालाब, झरनों एवं भूगर्भ जल आदि रूप में मीठे जल के रूप में पाया जाता है। ऊंची पर्वतमालाओं जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि पर्वतों पर जमी हुई बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है और नदियों में वर्ष भर पानी प्रवाहित होता रहता है। इसी तरह जंगल और पर्वतमालाएं भी बरसात में पानी को सोख लेते हैं, जो कि बाद में धीरे-धीरे झरने या जलधाराओं के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है।

हमारे मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी इसका एक अच्छा उदाहरण है। बाकी नदियों में से कई मौसमी, यानी बरसात के मौसम में बहने वाली हैं, जबकि बाकी समय सूखी रहती हैं। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों- पीने, कृषि में सिंचाई और उद्योगों के लिए करते हैं।

बर्फ से ढंकी हुई पर्वतमालाएं और ग्लेशियर सूर्य की गर्म किरणों को वापस रिफलेक्ट करने यानी वापस भेजने का काम भी करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण बड़े-बड़े हिमखंड और ग्लेशियर (बर्फ के पहाड़) पिघल रहे हैं। इनका पानी बहकर खारे समुद्र में मिल रहा है। इससे उनका पानी खारा हो रहा है। यह पानी पीने के काम नहीं आ सकता। पहाड़ों की बर्फ पिघलने से जो पानी समुद्र में मिल रहा है, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और किनारे बसे देश और राज्य डूब रहे हैं। वर्तमान में विश्व में 40 प्रतिशत से भी कम मीठा पानी बचा है।

कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में आई बाढ़ ने हमें चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते हमने पृथ्वी के तापमान को कम नहीं किया तो इससे भी ज्यादा भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भूगर्भ जल जो कि प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, पिछले दो दशकों में हमने इसको भी लगभग समाप्त कर दिया है। आज उद्योगों के उपयोग के लिए और घर-घर ट्यूबवेल और बोरवेल के बोर किए हुए हैं, जिनसे अंधाधुंध पानी निकाला जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहले जहां जमीन से 35-50 फुट पर पर्याप्त पानी निकल आता था, वहीं आज 400 से 500 फुट पर भी पानी नहीं है।

हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड ऐसे क्षेत्र हैं, जो पिछले 10 वर्षों से सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका असर खेती और आजीविका पर हुआ है यहां से अधिकांश छोटे और सीमान्त किसान मजदूरी एवं अन्य कार्यों के लिए पलायन करके अन्य शहरों और प्रदेशों में जाने लगे हैं। यही स्थिति प्रदेश में अन्य संभागों के गांवों की भी है।

औद्योगिकीकरण के परिणाम भयानक रूप से सामने आ रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला वेस्टेज (ठोस कचरा और

गन्दा पानी) और गंदगी सीधे नदियों में मिलाई जा रही है। इस कारण जीवनदायिनी नदियों का पानी भी अब जहरीला हो गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण हमारे प्रदेश देश ही नहीं पूरे विश्व में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। समय रहते उपरोक्त परिस्थितियों को सुधारने के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर पर उचित कदम उठाने होंगे नहीं तो विनाश सुनिश्चित है।

जंगल की उपलब्धता और उपभोग

जंगल हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। ये भूमि के कटाव को रोकते हैं और बरसात को लाने में भी सहायक होते हैं। जिन स्थानों पर पेड़-पौधे और जंगल अधिक होते हैं, उन स्थानों पर बरसात भी अधिक होती है। जंगल, मौसम में नमी को बनाए रखते हैं। इससे वातावरण में गर्मी नहीं पैदा होती, क्योंकि जल का वाष्पीकरण होता रहता है। पेड़-पौधे वातावरण में मौजूद कार्बन डाईऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया से ही वे अपना भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन गैस भी देते हैं।

औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के लगातार बढ़ने के कारण वनों की कटाई निरंतर जारी है। विश्वस्तर पर हर साल 63000 वर्गमील जंगल नष्ट हो रहे हैं। लालच से भरपूर लाभ लेने का आलम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ जंगल काटते ही जा रहे हैं। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है, जो कि तापमान के बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है।

कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग

अधिकांश उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। जब कोयला जलता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाईआक्साइड और अन्य हानिकारक गैसे पैदा होती हैं। औद्योगिकीकरण हमारे पर्यावरण को दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। एक - ईंधन के लिए जमीन में दबा हुआ कोयला निकालने के लिए अंधाधुंध खुदाई की जा रही है। दो - उद्योगों में कोयला जलाने से धुंए के रूप में वातावरण को हानि पहुंचाने वाली कार्बन डाईऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

इसी तरह परिवहन के लिए उपयोग होने वाले वाहनों जैसे मोटर साइकल, स्कूटर, कार, टैम्पो, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज और हवाई जहाज आदि वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों - डीजल, पेट्रोल, वायुयान ईंधन का उपयोग किया जाता है। परिवहन के लिए उपयोग करने वाले वाहनों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग सर्वाधिक यानी 96 प्रतिशत होता है। इन वाहनों से सबसे ज्यादा कार्बन डाई आक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है। बच्चें जानते हैं कि फ्रिज और एयरकंडीशनर का उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की योजनायें

जलवायु परिवर्तन से निपटने यानि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके सही क्रियान्वयन में सहयोग करना और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमें

अपने कार्य के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाना होगा और उनकी योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित समुदाय की और स्थानीय जरूरतों को विभागों तक पहुचाना होगा ताकि विभाग की कार्ययोजना में उसे शामिल किया जा सके।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और कृषि विभाग की कुछ योजनायें यहाँ दी गयी हैं। इनके साथ ही उद्यानिकी उर्जा विभाग पंचायतराज और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का अध्ययन भी करें ताकि अपने क्षेत्र में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर कार्य कर सकें।

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत संचालित योजनायें –

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित इस योजना में अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कई उप योजनायें हैं। इनमें से कुछ हितग्राही मूलक योजनायें भी हैं।

इन योजनाओं के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि के लिये सिंचाई सुविधा बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाते हैं।

नंदन फलोद्यान योजना –

पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीणों के लिये आय सृजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिये संचालित की गई। योजना के तहत ऐसे हितग्राही जो अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के लिये इच्छुक हैं, उनको रोजगार की माँग के साथ ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। ग्राम पंचायत प्राप्त प्रस्तावों को ग्रामसभा में प्रस्तुत करेगी। ग्रामसभा वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था वाले प्रस्तावों को प्रथम प्राथमिकता और जिनके पास सिंचाई व्यवस्था नहीं है। उनको सशर्त द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रखेगी, जिसमें कपिलधारा योजना के प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना शामिल होगा। परियोजना के लिये राशि की कोई सीमा बंधनकारी नहीं है।

कपिलधारा योजना –

कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार के लिये कपिलधारा योजना संचालित की गई है। योजना के तहत हितग्राही परिवार को कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना में नवीन कुंआ-भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ खेत-तालाब, मैसेनरी चेक डेम, स्टाप डेम (आरएमएस) और लघु तालाब निर्माण का प्रावधान है। योजना के तहत ऐसे हितग्राही परिवार का चयन किया जायेगा, जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि में पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है। हितग्राही परिवार का एक सदस्य न्यूनतम पाँचवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, किन्तु सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के लिये यह मानदण्ड लागू नहीं होगा।

योजना से लाभान्वित होने के लिये हितग्राही को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा। इसमें प्रस्तावित कार्य के आकार का भी अनुमानित विवरण देना होगा। प्राप्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन किया जायेगा जिसका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है।

सामुदायिक विकास कार्य –

योजना के तहत श्रममूलक सामुदायिक विकास कार्य के प्रावधान किये गये हैं। इसके तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन, सूखा रोकने, वनरोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं माध्यम सिंचाई कार्य, परम्परागत बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल जमाव, क्षेत्रों में जल निकासी और बारहमासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क सम्पर्क के कार्य किये जाने का प्रावधान है।

योजना में हितग्राही को लाभ –

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा से नीचे के परिवार भूमि सुधार के हितग्राही और इंदिरा आवास योजना के अधीन हितग्राहियों को स्वयं की कृषि भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकसित करने का अधिकार। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकारी। मजदूरी नगद मिलने का अधिकार।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बलराम ताल योजना –

सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अपवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिये बलराम ताल योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं। इस योजना में कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में स्वयं के द्वारा बलराम ताल निर्माण पर सामान्य कृषकों को निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रु., लघु सीमांत कृषकों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 80,000 रु. तथा अ.जा–अ.ज.जा के कृषकों को निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1,00,000 रु. का अनुदान दिया जाता है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए राज्यस्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना –

योजना का उद्देश्य समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा भूमि की संरचना में सुधार कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाना है। यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में संचालित है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं। राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना में किसानों को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम अपने क्षेत्र के कृषि विकास विस्तार अधिकारी और जनपद स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

- कम्पोस्ट तकनीकी विधियाँ अपनाने के लिए प्रति किसान इकाई की लागत का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये जो भी कम हो।
- वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 3000 रुपये जो भी कम हो।
- काऊ कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 500 रुपये जो भी कम हो।

- जैविक कीट नाशक के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।
- जैविक हारमोंस के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बायोगैस –

इसका उद्देश्य है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाना तथा कृषि के लिए उत्तम खाद उपलब्ध कराना। संपूर्ण मध्यप्रदेश में योजना लागू है। इस योजना के लिए पात्र हितग्राही– अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत, भूमिहीन, मजदूर तथा सामान्य श्रेणी के कृषक हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को 3,500 रु. व अन्य कृषकों को 2,700 रु. प्रति संयंत्र की दर से अनुदान दिया जाता है। शौचालय से जोड़े गये संयंत्रों पर 500 रु. प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है।

जलवायु परिवर्तन और सामुदायिक पहल : प्रायोगिक / मैदानी कार्य 2

क्या कार्यवाही करें -

सबसे पहले यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि अपने गांव, बस्ती, इलाके में मौसम में क्या और किस तरह के बदलाव आये हैं? गर्मी कितनी और कब पड़ती है? बारिश कब और कितनी होती है? ठण्ड कब और कितनी पड़ रही है? जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बच्चे को समुदाय के बुजुर्गों के साथ छात्र की भांति संवाद करना होगा। याद रखें कि पिछले 2 या 5 सालों के मौसम के बदलाव से जलवायु परिवर्तन को समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए पिछले 40–50 सालों में हुए बदलाव के बारे में ठोस जानकारी इकट्ठा करना होगी।

मौसम या जलवायु में आये बदलाव का खेती, पानी, जंगल, हवा, बीमारियों और स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ा है ?

- यह जानने के लिए समुदाय के स्तर पर ऐसी चर्चा, बातचीत की प्रक्रिया चलानी होगी, जिसमें बुजुर्ग, महिलायें, किसान आदि की सक्रिय सहभागिता हो।
- स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मतलब और इसके प्रभावों को समझना। इसे एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाया जाना चाहिए।
- समुदाय के लोगों खासकर बुजुर्गों, महिलाओं के साथ बैठकें और समूह चर्चा करके पता करना कि पिछले 20 साल में अपने गांव के जंगल, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े, खेती, पानी की उपलब्धता और मौसम में क्या बदलाव आया है?

- समुदाय के लोगों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं के साथ बैठकें और समूह चर्चा करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हमें लोगों के साथ अलग-अलग समूह में 3 से 4 बार बैठना पड़ सकता है।
- इन बैठकों में एक ही बार में सभी बिंदुओं पर बात न करें, बल्कि एक मीटिंग में एक विषय पर विस्तार से बात करें और कोशिश करें कि बातचीत सिर्फ बातचीत न होकर कार्ययोजना का रूप ले और लोग उस विषय के लिए काम करने को तैयार और तत्पर हों।
- इन चर्चाओं से जो भी जानकारी निकल कर आएगी, उसके आधार पर एक दस्तावेज तैयार करिये। बच्चे ड्राइंग शीट पर मौसम में आ रहे बदलावों, मौसम चक्र, फसल चक्र आदि अन्य समस्यायों पर चित्र बना लें। इन चित्रों, जानकारियों, दस्तावेजों का उपयोग युवाओं, स्कूल में बच्चों के समूह से जलवायु परिवर्तन पर संवाद करने के लिए करना बहुत उपयोगी होगा।
- जंगल पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।

जंगल की स्थिति पहले क्या थी? अब क्या है? क्या परिवर्तन आया है? इस बदलाव के क्या कारण हैं? यदि हम पहले जैसा जंगल बनाना चाहें तो –

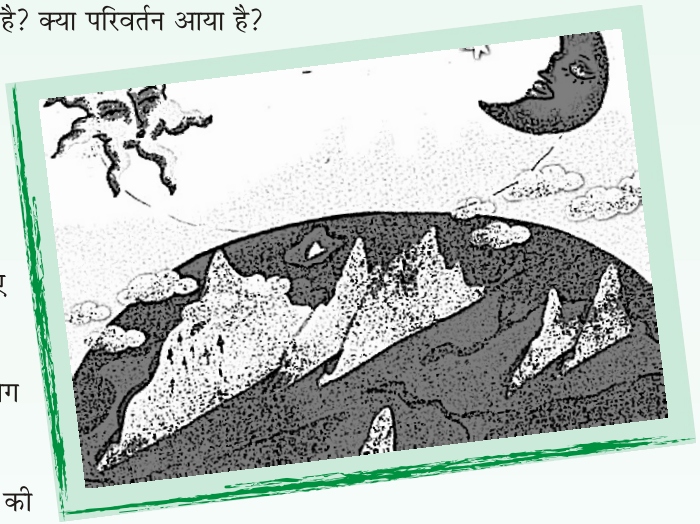

1. हमें क्या-क्या सुधार के कार्य करने होंगे।
2. जंगल को बचाने बढ़ाने के लिए समुदाय क्या सहयोग कर सकता है।
3. इन कार्यों में कौन-कौन लोग सहयोग करेंगे।
4. जंगल को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं। इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं एवं योजना का लाभ लेने का तरीका क्या है।
5. उद्यानिकी विभाग की योजनाएं वन विभाग की योजनाएं पंचायतराज विभाग की योजनाएं।

खेती पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना –

- खेती की स्थिति पहले क्या थी? अब क्या है? क्या परिवर्तन आया है? इस बदलाव के क्या कारण हैं?
- खेती की बात करते समय हम निम्नलिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं–
  - गांव में पहले कौन-कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती थीं ?
  - क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी थी?

- जमीन का उपजाऊपन कैसा था।
- फसलों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था थी फसलों को कितनी सिंचाई देनी पड़ती थी।
- खेती में क्या परिवर्तन आया है ?
- इस बदलाव के क्या कारण हैं ?
- रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता में हुए नुकसानों पर चर्चा।
- रासायनिक पद्धति और जैविक पद्धति से फसल उत्पादन में लागत के प्रमुख खर्च – जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, श्रम एवं उत्पादन की मात्रा और मूल्य आदि बातों को जोड़-घटाना करके फसल का घाटा-मुनाफा निकालकर तुलनात्मक चर्चा करना कि खेती के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा फायदेमंद है।
- अपने गांव की खेती को बेहतर करने के लिए हमें क्या-क्या सुधार के कार्य करने होंगे।
- इन कार्यों में कौन-कौन लोग सहयोग करेंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे।
- जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।

कृषि विभाग की योजनाएं

इनमें नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, एस.आर.आई., एस.डब्ल्यू.आई., मिश्रित फसल बोना, फसल बोने के तरीके, बीजोपचार, जैविक खेती को प्रोत्साहन।

गोबर गैस योजना –

गोबर गैस से निकली स्लरी अच्छी जैविक खाद का काम करती है।

1. जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उनके खेतों में अन्य किसानों का भ्रमण कराना और इनकी सफलता की कहानियों को प्रसारित करना।
2. जल की उपलब्धता और उपभोग पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।
3. पेयजल सिंचाई और पशुओं के लिए जल उपलब्धता और उपभोग की स्थिति पहले क्या थी? अब क्या है? क्या परिवर्तन आया है? इस बदलाव के क्या कारण हैं?

जल उपलब्धता और उपभोग –

इस पर हम निम्नलिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं –

- पुराने समय में हमारे पास जल के लिए प्रमुख स्रोत क्या थे? तालाब, नदी, नाले, कुंए, हैंडपंप आदि। इनसे

हमें वर्ष में कितने माह तक पानी उपलब्ध होता था।

- भूमिगत जल के लिए जलस्तर कितना था? यानी कितने फुट पर पानी उपलब्ध था और अब कितना है?
- बरसात के पानी को सहेजने के लिए क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था हैं।
- पहले बरसात कितनी होती थी? अब कितनी होती है? मानसून कब किस माह में आता था और किस माह तक रहता था? अब किस माह में मानसून आता है और किस माह तक रहता है। मानसून का मिजाज पुराने समय में कैसा था अब कैसा है?
- ठंड के मौसम में मावठे की बरसात होती थी? यह किन महीनों में होती थी? अब मावठा किन महीनों में गिरता है।
- बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर उनकी तुलना की जा सकती है कि जल की उपलब्धता और उपभोग की स्थिति में क्या बदलाव आया है और क्यों आया है? इसके आधार पर हम तय कर सकेंगे कि कौन से बदलाव ऐसे रहे, जिनके कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन जल की उपलब्धता में कमी आई है और यहीं से हमारे जल स्रोतों को संरक्षित करने की योजना हमें बनानी होगी।
- जल संरक्षण कार्य में सहयोग के लिए कौन–कौन सदस्य सहयोग करेंगे।
- हमें इस नीति पर कार्य करना होगा कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में।
- कौन लोग अपने खेत के निचले हिस्से में पानी रोकने के लिए तालाब बनाने में सहयोग कर सकते हैं।
- पानी रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक निचली जमीन का उपयोग किया जा सकता है।

जल संरक्षण के लिए सरकार की योजनाएं

जल संसाधन विभाग –

इस विभाग की योजनाओं के लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।

पंचायत राज विभाग –

मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं के अंतर्गत किन खेतों में तालाब, कुंआ, मेढ़बंदी कराई जा सकती है। इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।

राजीव गांधी जलग्रहण मिशन –

आपके परियोजना क्षेत्र की योजना और इसके क्रियान्वयन में गांव वालों से मिलने वाला सहयोग के बारे में बात कर

सकते हैं, ताकि वाटरशेड का कार्य जल्दी किया जा सके। उद्योगीकरण और परिवहन के साधनों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव को समझना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतो एवं तरीकों को प्रोत्साहन देना।

यह चर्चा करना कि –

- हमारे क्षेत्र में कौन–कौन से उद्योग या काम या छोटे धंधे हैं जिनके कारण धुंआ या हानिकारक गैसे उत्सर्जित हो रहीं हैं? इन गैसों का हमारे स्वास्थ्य पर और वातावरण पर क्या असर हुआ है।
- इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
- हम कौन से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपना सकते हैं इसमें कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे।

ऊर्जा विभाग की योजनाएं

जैसे सोलर कुकर, धुंआ रहित चूल्हा, चिमनी आदि इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं। योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।

- पेट्रोल और डीजल की इस खपत को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं?
- किन स्थितियों में हम निजी वाहन का उपयोग करें व किन स्थितियों में हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें।
- ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अपने क्षेत्र में और क्या विकल्प हो सकते हैं।
- युवाओं, बच्चों और स्कूल के समूहों से जलवायु परिवर्तन के विषय पर संवाद करना।
- अपने गांव, इलाके के स्कूलों में जलवायु परिवर्तन पर सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। इन सत्रों में अपने इलाके से जुड़ी हुई जानकारियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिये।

जैव विविधता और समुदाय

स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना। मरुस्थलीकरण पर काबू पाना, भू क्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना।

यदि अपने गांव समुदाय और प्रकृति को स्वस्थ रखना है तो जैव विविधता को बचाना होगा। इसके बिना न तो शरीर खुश रह सकता है न ही मन। जैव विविधता को नुक्सान पहुंचा कर हम सब मांग करने लगते हैं कि अस्पताल चाहिए और ज्यादा इलाज चाहिए, दवाईयां चाहिए, क्योंकि समुदाय बीमार पड़ता है। यह कोई नहीं कह सकता कि सबको स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिलकुल मिलना चाहिए पर साथ में यह भी तो सोचा जाना चाहिए कि आखिर हमारा समुदाय और समाज इतना बीमार हो क्यों रहा है? जिस तरह से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे समाज में अशांति बढ़ रही है और शारीरिक मानसिक अस्वस्थता भी। टिकाऊ विकास लक्ष्यों का

मकसद एक बेहतर-स्वस्थ-प्रसन्न-समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया चलाना है। इस नजरिए से समुदाय के बीच हमें कुछ व्यापक पहलुओं पर काम करना होगा। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैव-विविधता का संरक्षण।

जैव विविधता के संरक्षण का मतलब है हम यह सुनिश्चित करें कि अपनी जरूरतें पूरी करते समय हम इन सभी के जीवन को नुकसान न पहुंचायें।

मध्यप्रदेश में जैव-विविधता -

मध्यप्रदेश वास्तव एक ऐसा राज्य है, जहाँ की जैव-विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, घाटियाँ भी हैं, बीहड़ भी हैं और पठार भी। यहाँ चार तरह के जंगल हैं। इसे बाघों का राज्य कहा जाता है। यहाँ 20 तरह के सांप मिलते हैं। यहां पेड़-पौधों की 5000 किस्म की प्रजातियां हैं? 500 तरह के पंछी हैं? 180 तरह की मछलियाँ हैं? धान की हजारों तरह की किस्में हैं। 43 आदिवासी समुदाय हैं। यहाँ पायी जाने वाली 1000 तरह की औषधीय वनस्पतियां समाज में सदियों से चली आ रही पारंपरिक उपचार व्यवस्था का आधार रही हैं।

समुदाय की भूमिका -

पारंपरिक रूप से जैव-विविधता का संरक्षण समाज ने ही किया है, क्योंकि उसे इसके महत्व का ज्ञान रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की जद्दोजहद में समाज ने जैव-विविधता में से ही रास्ते निकाले हैं। अपने अनुभवों से लोगों ने यह जाना कि कौन सी वनस्पति किस तरह की बीमारी में कारगर साबित होगी। यही कारण है कि आदिवासी समुदायों में तो प्रकृति को ही अपना आराध्य माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से शोषण हुआ है उससे एक तरफ तो बीमारियों, पीने के पानी और असुरक्षा की समस्या खड़ी हुई तो वहीं दूसरी तरफ जिस जो जैव-विविधता हमें इन संकटों से निपटने में मदद कर सकती थी उसके अस्तित्व पर भी संकट गहराया है।

कानूनी व्यवस्था में समुदाय की भूमिका - स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश जैव-विविधता नियम 2004 बनाए। इस व्यवस्था के तहत स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी (यानी समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला रजिस्टर) बनाए जाने का प्रावधान है। इस पंजी को बनाने का मुख्य मकसद स्थानीय जैव-विविधता से सम्बंधित ज्ञान को लोकहित के नजरिए से दर्ज करना है। इसके साथ ही जैव-विविधता से सम्बंधित सैंकड़ों सालों के अनुभवों से अर्जित स्थानीय समुदाय को ज्ञान को भी दर्ज किया जाना है। स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता उनके उपयोग और उपयोगिता औषधीय गुणों खाद्य-पोषण सुरक्षा से जुड़े पहलुओं उत्पादित और अनुत्पादित खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी दर्ज की जाना चाहिए।

यह पंजी एक सामुदायिक दस्तावेज है जिससे स्थानीय जैव-विविधता की व्यापकता मौजूदा स्थिति इससे सम्बंधित गहरे ज्ञान की व्यवस्था उनका उपयोग और संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था को जाना और समझा जा सकेगा।

इस दस्तावेज का उपयोग समुदाय और स्थानीय निकाय जैव-विविधता के संरक्षण के लिए योजना बनाने में कर सकेंगे। केवल जानकारी हासिल करना इसका मकसद नहीं है बल्कि संसाधनों के संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था बनाने में इसका रचनात्मक उपयोग किया जा सकेगा। नए सन्दर्भों में हम उन अवसरों को भी पहचान सकेंगे जिनसे समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि समुदाय के अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) को सुरक्षित करने के नजरिए से भी यह एक महत्वपूर्ण पहल है ताकि कोई और इस ज्ञान पर एकाधिकार हासिल करने की कोशिश न करे।

स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

इस पंजी में स्थानीय जैव-विविधता और उसे मानवीय समाज के रिश्तों को दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से निम्न बिंदु शामिल होंगे –

प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता पर आधारित आजीविका की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी – जैसे – महुआ इकट्ठा करना, मछली पालन, आंवला इकठ्ठा करना आदि।

स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता – जैसे – बारिश का मौसम, बारिश की मात्रा, तापमान आदि।

प्रजातियों की और आनुवंशिक विविधता – जैसे – पेड़ों, वनस्पतियों, जानवरों, पंछियों की कौन-कौन सी प्रजातियां मिलती हैं?

घरेलू उपयोग के लिए जैव विविधता जिसमें पालतू पशु धन शामिल है। जैसे- गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, गधे के बारे में जानकारी और घरेलु उपयोग की वनस्पतियां कौन सी हैं, उनके उपयोग और उनकी प्रजातियां कौन सी हैं?

जंगली फूलों और वनस्पतियां की विविधता – जैसे – वहां स्थानीय क्षेत्र में कौन-कौन से जंगली फूल और वनस्पतियां मिलते हैं, कौन सी प्रजाति के हैं? क्या उनका कोई उपयोग होता है? यदि हाँ तो क्या?

जलीय वनस्पतियों की विविधता – जैसे – स्थानीय नदी, नालों, तालाबों में कौन से जलीय वनस्पतियां मिलती हैं? उनका क्या उपयोग होता है? उनका महत्व क्या है?

जलीय जीवों की विविधता – जैसे – स्थानीय नदी नालों तालाबों में कौन से जलीय जीव मिलते हैं? उनका क्या उपयोग होता है? उनका महत्व क्या है?

जैव-विविधता और संस्कृति के बीच के परस्पर रिश्ते – जैसे – क्या पेड़ों, जंगल, नदी, जमीन, पशुओं से समुदाय के कोई आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं? क्या त्योहारों से उनका कोई जुड़ाव है?

जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक ज्ञान – जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय

की जानकारी क्या है? समुदाय में मुख्य रूप से किसे ज्यादा जानकारी है? क्या वह जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है?

जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक व्यवहार – जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय के व्यवहार क्या हैं? इन व्यवहारों से सम्बंधित सिद्धांत और नियम कौन से हैं? क्या इस व्यवहार की जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है?

जैव विविधता और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए पहलू – जैसे – जैव-विविधता का संरक्षण करने की समुदाय आधारित व्यवस्था क्या है? समुदाय के द्वारा बनाए गए नियम कौन से हैं? समुदाय में कौन मुख्य भूमिका निभाता है?

जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामुदायिक योजना – जैसे – अपने आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध या फिर लुप्त हो रही जैव-विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए समुदाय के साथ मिलकर एक योजना बनाएँ।

जैव विविधता की लोक पंजी और जैव-विविधता प्रबंधन समिति –

- जैव विविधता कानून 2002 के मुताबिक जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- हर समिति में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे जिन्हें स्थानीय निकाय नामांकित करेंगे। इस समिति में एक तिहाई महिलाएं और 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बंधित प्रतिनिधि होना चाहिए।
- जैव-विविधता प्रबंधन समिति ही जैव विविधता की लोक पंजी बनाएगी। समिति को अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्रोतों को दायरे में लेते हुए जैव-विविधता से सम्बंधित जानकारियों, ज्ञान और सम्बंधित पहलुओं को दर्ज करने का अधिकार है।

जैव विविधता की लोक पंजी के प्रपत्र

गांव की जानकारी

गांव का नाम		**तहसील**		**जिला**	
जिला मुख्यालय से दूरी		ब्लाक मुख्यालय से दूरी		भूगोलीय संरचना (पहाडियां, पठार, मैदानी आदि)	
जलवायु और मौसम		जनसँख्या		पुरुष जनसँख्या	
महिला जनसँख्या		अनुसूचित जाति संख्या		अनुसूचित जनजाति संख्या	

जैव विविधता से जुड़ी हमारी आजीविका (रोजी-रोटी)

क्र.	**गतिविधियां**	**गतिविधि से कितने परिवार जुड़े हैं?**	**परिवार**		**समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम**
			गांव वाले	**बाहर से आने वाले**	
1	खेती व संबंधित कार्यों से संबंधित गतिविधियां				
2	पशुपालन से संबंधित गतिविधियां (मत्स्य पालन के साथ)				
3	जंगल से संबंधित गतिविधियां				
4	कारीगरी से संबंधित गतिविधियां				
5	अन्य संवो से संबंधित गतिविधियां (जैसे – जैव विविधता संबंधित अजीविका के साधन)				
6	काम के लिए पलायन				
7	मजदूरी और इससे संबंधित गतिविधियां				
इस तालिका के आधार पर हमें यह अध्ययन करना है कि गांव में कुल कितने परिवार हैं? आजीविका के लिए मुख्य रूप से वे किन कामों/क्षेत्रों पर निर्भर हैं? जैव-विविधता से मुख्य आजीविका का क्या और कैसा जुड़ाव है? उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में साल भर में से कितने दिनों/महीनों के लिए रोजगार मिलता है?					

पारिस्थितिकीय विविधता

इलाकों का वर्गीकरण

क्र.	इलाके (खेती/जल/जगंल/पड़ती जमीन आदि)	स्थानीय नाम	लंबाई, चैड़ाई और गहराई? (अनुमानित आकार व संख्या)	मिल्कियत	आजीविका से जुड़ी गतिविधि	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

प्रोतिक भू दृश्य – जल स्रोत परिदृश्य का विवरण

क्र.	उच्च प्राथमिकता वाले इलाके का विवरण	स्थानीय भाषा में नाम	अनुमानित क्षेत्र	आजीविका से जुड़ी गतिविधियां	इससे जुड़ी हुई प्रजाति	विगत 10 वर्षों में बदलाव	बदलाव का कारण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

प्रजाति और उत्पत्ति मूलक-अनुवांशिक विविधता

कृषि की विविधता

क्र.	फसल (गेहूं, चावल)	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्में	अंकुरण में मदद करने वाले कीट/ जीवाणु का चरित्र और पहचान	कितने क्षेत्र में बोई जाती है	बुआई की ऋतु व समय	प्रति कड़ अनुमाति उत्पादन	उपयोग/विशेष गुण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

कृषि में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली प्रजातियां/फसलें

क्र.	फसल	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्में	अंकुरण में मदद करने वाले कीट/ जीवाणु का चरित्र और पहचान	कृषि जलवायु का वह क्षेत्र कौन सा है, जिसमें फसल होती है व बुआई का क्षेत्रफल	मौसम	कितने समय की फसल है?	उत्पादन (टन)	उपयोग (औषधीय उपयोग के साथ)	विगत 10 वर्षों में बदलाव/ स्थिति	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –												

सभी पालतू पशुओं की विविधता

क्र.	पालतू पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड़) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्ध नहीं	संख्या	उत्पादन/ उपलब्धता कितनी होती है?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य) स्थिति	(पर्याप्त उपलब्धता है/दुर्लभ/विलुप्तप्राय, संकट में/ अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

उच्च प्राथमिकता वाले पालतू पशुओं की प्रजाति की जानकारी

क्र.	पालतू पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड़) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्ध नहीं	संख्या	उत्पादन/ उपलब्धता कितनी होती है?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य)	(पर्याप्त उपलब्धता है/दुर्लभ/विलुप्तप्राय, संकट में/ अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

जंगल की विविधता – वनस्पति की जानकारी (वनस्पति-पेड़, पौधे, झाड़ी, बेल, कंद-मूल, घास, लता आदि)

क्र.	वनस्पति का स्थानीय नाम	प्रजाति	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	भाग (किस भाग का उपयोग होता है?)	उपयोग (किस काम में आता है)	उत्पादन कितना होता है?	स्थिति क्या है (दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट में)
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –							

उच्च प्राथमिकता वाले जंगल और वहां मिलने वाली वनस्पति की प्रजाति की जानकारी

क्र.	वनस्पति का स्थानीय नाम	प्रजाति	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जुड़े हुए इलाके (जंगल/खेती/ पड़ती जमीन/ नदी आदि)	भाग (किस भाग का उपयोग होता है)	उपयोग (किस काम में आता है)	उपयोगकर्ता	उत्पादन	विगत 10 वर्षों में बदलाव	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –										

वन्य प्राणी की विविधता (स्तनपायी, रेंगने वाले, जल-स्थलचर, चिड़िया, मछली, कीट आदि)

क्र.	वन्यप्राणी/प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जनसंख्या	स्थिति क्या है (दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट में)
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –				

उच्च प्राथमिकता वाले वन्य प्राणी की प्रजाति की जानकारी

क्र.	वन्यप्राणी/प्रजाति का स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	जुड़े हुए इलाके, जहां पाया जाता है। (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/ नदी आदि) किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थिति में पाया जाता है?	वर्तमान मौजूदगी (ज्यादा/मध्यम/कम)	विगत 10 वर्षों में बदलाव	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैव विविधता और संस्कृति

जैव विविधता से जुड़े त्यौहार / रीत / रिवाज

रीति / रिवाज	त्यौहार	महीने	विवरण	कौन सी प्रजातियों का उपयोग करते हैं	इसके पीछे क्या मान्यता है?	क्या प्रभाव है जैव विविधता पर
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैव विविधता से जुड़ी लोक कथा / लोकगीत / मुहावरे / कहावतें

लोक कथा / लोकगीत / मुहावरे / कहावतें / संक्षेप में	जैव विविधता से जुड़ाव	समुदाय में लोक कथा / लोकगीत / मुहावरों / कहावतों की वर्तमान स्थिति

समुदाय में जैव विविधता की जानकारी और जानकार लोग

क्र.	जानकार लोगों के नाम	किस तरह का ज्ञान?	बांटने योग्य ज्ञान	ज्ञान, जो गुप्त रखना चाहते हैं?

प्रबन्धन और प्रबन्धन के मुद्दे – पुरानी परम्परागत व्यवस्थायें व संस्थायें

जुड़े हुए इलाके (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/नदी आदि)	पुरानी परम्परागत व्यवस्था	मौजूद व्यवस्था	किसी बदलाव की जरूरत हो?

हस्ताक्षर व दिनांक .....

नाम .....

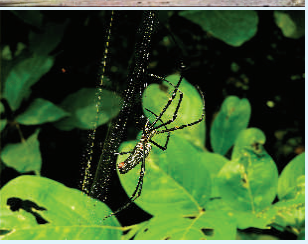

खेल से ही मेल होता है
खेल से ही खिलना
खेलने जब निकलेंगे
तब केवल दोस्त नहीं मिलेंगे
हवा में होगा उड़ना
पानी में होगा घुलना
और गगन से भी होगा मिलना

**

बीज टूट जाता है
अंकुर फूट जाता है
तना दरक जाता है
डगाल निकल आती है
डगाल चिर जाती है
पत्ते निकल आते हैं
फूल निकल आते हैं
फल निकल आते हैं,
कीट आते हैं पत्तों को खा जाते हैं
मिट्ठू फल को कुतर जाते हैं,
चिड़िया आती है घर बना लेती है
रहती है, जीती है अंडे सेती है, उड़ जाती है
दीमक जमती जाती है
बीज अलग हो जाते हैं
अपने हिस्से की जमीन में गड़ जाते हैं
टूट जाते हैं, टूट कर पूरे हो जाते हैं
पत्ते सूख कर गिर जाते हैं
पेड़ शोक नहीं मनाता है
पेड़ कभी लड़ता नहीं है
चिड़िया कभी कब्ज़ा नहीं जमाती
फल अपनी कीमत नहीं लगाता
सबको पता होते हैं अपने होने के मायने
कुदरत में अस्तित्व का अहसास होता है
कुदरत में जीवन एक चक्र होता है
कुदरत में अहंकार नहीं होता
कुदरत के जीवन चक्र में बाज़ार नहीं होता;

ISBN 9789381408360
9 789381 408360

terre des hommes
Help for Children in Need

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

विकास संवाद